सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 809 राँची, मंगलवार 14 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

28 जून, 2018

कृपया पढ़ें-

1. उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक-2202/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 15 नवम्बर, 2015 एवं उपायुक्त, लातेहार का पत्रांक- 824/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 6 मई, 2016

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-10659, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015, पत्रांक-2230, दिनांक 11 मार्च, 2016 एवं पत्रांक-3627, दिनांक 4 मई, 2016

संख्या- 5/आरोप-1-83/2015 का.-4765-- श्री अर्जुन राम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ एवं चंदवा, लातेहार, सम्प्रति-सरकारी सेवा से मुक्त के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2202/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 15 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री राम के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1- जन संवाद केन्द्र से शिकायत सं०-SMVAD/E/2015/03660 के माध्यम से प्रखण्ड बालूमाथ के झाबर पंचायत में मनरेगा योजनाओं में अनियमितता संबंधी शिकायत पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2015 को उक्त मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन अपलोड करने का निदेश प्राप्त हुआ था । इस क्रम में दिनांक 28 अगस्त, 2015 को इनके Login- ID में उक्त मामले की जाँच कर नियमसंगत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निम्न तिथियों को स्मार दिया गया:-

(क) दिनांक 31.08.2015 प्रथम स्मार

(ख) दिनांक 11.09.2015 द्वितीय स्मार

(ग) दिनांक 18.09.2015 तृतीय स्मार

(घ) दिनांक 03.10.2015 चतुर्थ स्मार

(ङ) दिनांक 09.10.2015 पंचम स्मार

(च) दिनांक 14.10.2015 छठा स्मार

(छ) दिनांक 28.10.2015 सातवा स्मार

आरोप सं०-2- जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अपर समाहर्त्ता, लातेहार- सह-नोडल पदाधिकारी जन संवाद के पत्रांक-1050, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की गई, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया गया ।

आरोप सं०-3- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार (राजस्व शाखा) कार्यालय के पत्रांक-1133, दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 द्वारा पुनः स्पष्टीकरण की माँग की गई, लेकिन इनके द्वारा जन संवाद केन्द्र से प्राप्त शिकायत का उत्तर जन संवाद केन्द्र के वेबसाईट में आपलोड नहीं किया गया और न ही स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया ।

जन संवाद के मामले पर जाँचोपरान्त नियमसंगत कार्रवाई एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाता है, परन्तु इनके द्वारा तत्संबंधी मामले पर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई । साथ ही, इस संदर्भ में इनको मामले का जाँचोपरान्त निष्पादन हेतु सात स्मार पत्र एवं दो स्पष्टीकरण भी पृच्छा की गई, इसके बावजूद भी उक्त मामले की जाँच में इनके द्वारा कोई रूचि नहीं लिया गया तथा अपने उच्च पदाधिकारियों के आदेश का भी अवहेलना किया गया, जो कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-10659, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 द्वारा श्री राम से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री राम ने पत्रांक-33, दिनांक

27 जनवरी, 2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया । श्री राम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2230, दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गयी तथा स्मारित भी किया गया । उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-824/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 6 मई, 2016 द्वारा श्री राम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

श्री राम के विरूद्ध आरोप, उनका स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, लातेहार के मंतव्य की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि श्री राम को आरोप के एक अन्य मामले में विभागीय संकल्प सं०-146(HRMS), दिनांक 15 फरवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सरकारी सेवा से मुक्त किया गया ।

अतः श्री अर्जुन राम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ एवं चंदवा, लातेहार, सम्प्रति-सरकारी सेवा से मुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत संचिका में की जा रही कार्रवाई को **संचिकास्त** किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 809 -- 50